[1][धारा 151 : सूचना मांगने की शक्ति

आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा धारा 151 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

''**धारा 151 : आंकड़े एकत्रित करने की शक्ति**

(1) आयुक्त, यदि वह यह समझता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में कार्यवाही किए जाने वाले किसी मामले से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने का निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथाविहित, प्ररूप और रीति में उन आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणियां देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।''